भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 41
सोमवार, 04 दिसंबर, 2023/13 अग्रहायण, 1945 (शक)

नि:शक्तजनों हेतु रोजगार के अवसर

41. श्री कार्ती पी. चिदम्बरम:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा नि:शक्तजनों (पीडब्ल्यूडी) हेतु रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;
(ख) क्या सरकार ने सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में नि:शक्तजनों के साथ होने वाले भेदभाव से निपटने की दिशा में कोई प्रगति की है;
(ग) क्या सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठाया है कि अदृश्य विकलांगता वाले नि:शक्तजनों सहित इस प्रकार के सभी व्यक्तियों को उनके सक्षम समकक्षों के समान रोजगार के अवसर दिए जाएं;
(घ) क्या सरकार का ग्रामीण क्षेत्रों में नि:शक्तजनों, विशेषकर महिला नि:शक्तों हेतु पर्याप्त रोजगार अवसर प्रदान करने का कोई प्रस्ताव है; और
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (ड.) : दिव्यांगों (पीडब्ल्यूडी) के कौशल विकास के लिए दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (डीईपीडब्ल्यूडी), राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपी) का कार्यान्वयन करता है। एनएपी के तहत, 15 से 59 वर्ष की आयु के बीच के दिव्यांगों को आत्मनिर्भर, समाज का उत्पादक सदस्य बनाने के उद्देश्य से कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। कौशल प्रशिक्षण के दायरे को बढ़ाने और दिव्यांगों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए, डीईपीडब्ल्यूडी ने 250+ बाजार संचालित पाठ्यक्रमों में कौशल प्रशिक्षण हेतु पीएम-दक्ष-डीईपीडब्ल्यूडी पोर्टल और दिव्यांगजन रोज़गार सेतु प्लेटफ़ॉर्म लॉन्च किया है जो देश भर में निजी कंपनियों में रोजगार/कमाई के अवसर पर जियो टैग आधारित जानकारी प्रदान करता है। ।

वर्ष 2007-08 में, दिव्यांगों को रोजगार प्रदान करने के लिए निजी क्षेत्रों में नियोक्ताओं के लिए एक प्रोत्साहन योजना शुरू की गई थी। ऐसे कर्मचारियों के संबंध में और ऐसी अवधि के लिए केंद्र सरकार द्वारा नियोक्ता के अंशदान की प्रतिपूर्ति कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) को की जाती है।

दिव्यांगजन अधिकार (आरपीडब्ल्यूडी) अधिनियम, 2016 में रोजगार में भेदभाव न करने का प्रावधान है। जिसके अनुसार, "कोई भी सरकारी प्रतिष्ठान रोजगार से संबंधित किसी भी मामले में किसी भी दिव्यांग जन के साथ भेदभाव नहीं करेगा।"

आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016, प्रत्येक उपयुक्त सरकार को आदेश देता है प्रत्येक सरकारी प्रतिष्ठान में बेंचमार्क दिव्यांग जनों से भरे जाने वाले पदों के प्रत्येक समूह में होने वाली नियुक्तियां कैडर बल में रिक्तियों की कुल संख्या के चार प्रतिशत से कम नहीं होंगी।

श्रम और रोजगार मंत्रालय, देश भर में दिव्यांगों के लिए 24 राष्ट्रीय करियर सेवा केंद्रों के माध्यम से दिव्यांगों को व्यावसायिक पुनर्वास सेवाओं की सुविधा प्रदान कर रहा है। उपरोक्त उपायों का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में महिला दिव्यांगों सहित दिव्यांगों को रोजगार के अवसर प्रदान करना है।

इसके साथ-साथ, नियोजनीयता में सुधार करते हुए रोजगार का सृजन करना सरकार की प्राथमिकता रही है। तदनुसार, भारत सरकार ने दिव्यांग व्यक्तियों सहित देश में रोजगार का सृजन करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं जैसे आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई), प्रधान मंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वानिधि योजना), प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई), और दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) आदि।

इसके साथ-साथ, दिव्यांग व्यक्तियों सहित युवाओं की नियोजनीयता बढ़ाने के लिए कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) द्वारा राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस) और प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) का कार्यान्वयन किया जा रहा है। दिव्यांगजनों सहित देश भर के युवाओं के कौशल आधारित प्रशिक्षण के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) है।

इन प्रयासों के अतिरिक्त, मेक इन इंडिया, स्टार्ट-अप इंडिया, स्टैंड-अप इंडिया, डिजिटल इंडिया, सब के लिए आवास जैसे सरकार के विभिन्न फ्लैगशीप कार्यक्रम आदि भी दिव्यांगजनों सहित रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए ही है।

*****